



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



ekf l d i f r o n u

सितम्बर 2018

fcgkj jkT; vkink i|c|/ku ikf/kdj.k
 $\frac{1}{4}$ vkink i|c|/ku foHkkx] fcgkj ljdkj $\frac{1}{2}$



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



fo"k; lph

it u-

- (A) vfHk;rkvk@okLrfonk@londk@jk tfeL=;k dk
HkdEijk/kh fuek.k rduhd l lcf/kr if'k{k.k 1&2
- (B) i[kM fodkl inkf/kdkfj;k ,o vpy vf/kdkfj;k
dk ^vkink tkf[ke U;uhdj.k ,o ic/ku**
ij if'k{k.k dk;Øe 3
- (C) e[;e=h fo|ky; lj{kk dk;Øe 4&8
- (D) ukfodk ,o uko ekfydk if'k{k.k 9&10
- (E) ukdkvk d fuc/ku gr fuc/kdk@lo{kdk dk if'k{k.k 11
- (F) vkink tkf[ke U;uhdj.k ,o ic/ku fo"k; ij ipk;r
ifrfuf/k;k dk if'k{k.k dk;Øe 12&13
- (G) vkink tkf[ke U;uhdj.k ,o ic/ku fo"k; ij ipk;r ifrfuf/k;k dk
if'k{k.k dk;Øe 14
- (H) uko ekfydk ukfodk ,o xkrk[kkj dk mUe[khdj.k dk;'kkyk 15
- (I) fcgkj HkdEiekih r= dk ixfr fooj.k 15
- (J) Mass Messaging/Whatsapp Advisory 16

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



ekfld ifronu ¼flrEcjl 2018½

**(A) vfhlk;rkvk@okLrfonk@londk@jktfeL=;k dk
HkdEijk/kh fuek.k rduhd l lcf/kr if'k{k.k**

¼1½ अगस्त 2018 तक dy 1174 jktfeL=;ों को भूकम्परोधी भवनों के विषय पर प्रशिक्षित किया गया।

सितम्बर 2018 में दिनांक 07 से 08 सितम्बर 2018 को एवं 20 सितम्बर को राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षकों का दो दिवसीय रिफ्रेशर कार्यक्रम सम्पादित किया गया।

दिनांक 11 से 18 सितम्बर 2018 को पटना जिला के पाँच प्रखण्डों (फतुहा, खुसरूपुर, बाढ़, मोकामा एवं घोसवरी) में 143 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया।

दिनांक 25 सितम्बर से 01 अक्टूबर 2018 के दौरान जिला के दस प्रखण्डों (मनेर, बिहटा, नौबतपुर, दुल्हिन बाजार, पालीगंज, फुलवारी भारीफ, मसोढ़ी, पुनपुन, धनरुआ एवं दानापुर) में उपस्थित कुल 280 राजमिस्त्रियों का भूकम्परोधी भवनों के विषय पर प्रशिक्षित किया गया।

¼2½ जनवरी 2017 से अगस्त 2018 तक कुल मिलाकर 1061 अभियंताओं को प्रशिक्षित किया गया था।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सितम्बर माह में दिनांक 25 से 28 सितम्बर 2018 को नालन्दा जिला से उपस्थित कुल 22 असैनिक अभियंताओं का भूकम्परोधी भवनों के विषय पर प्रशिक्षण किया गया।

इस प्रकार सितम्बर 2018 तक कुल 1174 + 423 $\frac{3}{4}$ 1597 $\frac{3}{4}$ को एवं 1061 + 22 = 1083 $\frac{3}{4}$ को प्रशिक्षित किया गया।

ik tfeL=:k dk HkdEiik/kh Hkouk d fo" k: ii if'k{k.k



flrEcj 2018 e lpkfyr dk;Øek dk fooj.k

7 days block level mason training at Patna District

Sr.	Name of Program	Training Date	No. of mason trained
1	Fatuha	11 Sept. to 18 Sept. 2018	24
2	Khusrupur	11 Sept. to 18 Sept. 2018	30
3	Barh	11 Sept. to 18 Sept. 2018	29
4	Mokama	11 Sept. to 18 Sept. 2018	30
5	Ghoswari	11 Sept. to 18 Sept. 2018	30
Total Mason Trained			143

4 days Engineers Training Distt:- Nalanda

1.	4 days Engineers Training district : Nalanda	25-28 September 2018	BSDMA, Patna	No. of Engineers trained: 22
----	--	----------------------	--------------	------------------------------

7 days block level mason training at Patna District

2.	Name of Block	Training Date	No. of mason trained
1.	Maner	25 Sept to 01 October 2018	28
2.	Bihta	25 Sept to 01 October 2018	25
3.	Naubatpur	25 Sept to 01 October 2018	30
4.	Dulhin Bazar	25 Sept to 01 October 2018	25
5.	Paliganj	25 Sept to 01 October 2018	31
6.	Phulwarisarif	25 Sept to 01 October 2018	31
7.	Punpun	25 Sept to 01 October 2018	22
8.	Masaurhi	25 Sept to 01 October 2018	30
9.	Dhanarua	25 Sept to 01 October 2018	30
10.	Danapur	25 Sept to 01 October 2018	28
Total No. of Mason Trained			280



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



(B) ikM fodkl inkf/kdkfj;k ,o vpy vf/kdkfj;k dk vkink tkf[ke U;uhdj.k ,o ic/ku ij if'k{k.k dk;Øe %&**

माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षात्मक बैठक दिनांक 13.06.2018 में प्राधिकरण को दिये गए निदेश के आलोक में बाढ़ प्रवण जिलों में नव पदस्थापित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारियों, जिन्हें आपदा प्रबंधन का अनुभव नहीं है, का प्रशिक्षण जुलाई माह से बिपार्ड में प्रारंभ किया गया है। करीब 336 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारियों का आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण हेतु चिन्हित किया गया है।

2. अगस्त माह तक 78 प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं 74 अंचल अधिकारी यानि कुल 152 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। सितम्बर माह में 42 प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं 40 अंचल अधिकारी यानि 82 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रकार सितम्बर माह तक $152+82 = 234$ को प्रशिक्षित किया गया है।

सितम्बर माह 2018 का विवरण निम्न है:-

fnukd	if'k{k.k.kkfFk;k dh l[;k		
	ikM fodkl inkf/kdkjh	vpy vf/kdkjh	dy
11-12 सितम्बर, 2018	10	16	26
18-19 सितम्बर, 2018	12	17	29
25-26 सितम्बर, 2018	20	07	27
dy	42	40	82

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



(C) e[;e=h fo | ky; l j{k k dk; Øe



1- j kT; ,o f t y k L r j h; ç f' k { k . k dk; Øe

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय गतिविधियों यथा प्रत्येक जिलों के मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (29 जनवरी से 19 अप्रैल) एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों के एक दिवसीय उन्मुखीकरण (14 मई से 19 मई) के पश्चात बिहार के जिलों में जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों का 3 दिवसीय कार्यक्रम दिनांक 21 मई से प्रारम्भ हुआ। सभी 38 जिलों में जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हो गया है।

अभी तक राज्य स्तर पर 605 मास्टर प्रशिक्षकों को तैयार किया गया है एवं जिला स्तर पर 4231 मास्टर प्रशिक्षकों की सूची प्राप्त हो चुकी है। जिलों से अद्यतन सूची प्राप्त की जा रही है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



2- प्रखंड स्तरीय फोकल शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम



इस कार्यक्रम के तीसरे चरण में विद्यालयवार फोकल शिक्षकों का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सितम्बर माह तक गोपालगंज जिले को छोड़कर सभी 37 जिलों में संपन्न हो चुका है। इस चरण में सभी विद्यालयों से एक-एक फोकल शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाना है।

अभी तक प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित हुए 22119 प्रशिक्षित फोकल शिक्षकों की सूची शिक्षा विभाग से प्राप्त हो चुकी है।

3- संकुल स्तरीय बाल प्रेरकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम



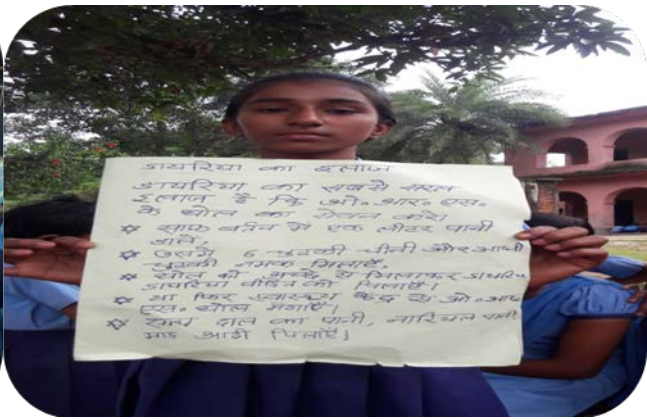
इस कार्यक्रम के चौथे चरण में विद्यालयवार बाल प्रेरकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संकुल स्तर पर होना था। सितम्बर माह तक 31 जिलों में संकुल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



प्रारम्भ हो चुका है। 07 जिले जहाँ संकुल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं हुआ है वे हैं— औरंगाबाद, गया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सीतामढ़ी एवं सुपौल। अभी तक 102838 बाल प्रेरकों को प्रशिक्षित किये जाने की जानकारी शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राप्त हो चुका है।

4- fo |ky; k e l jf{kr 'kfuokj dk fØ; kUo; u



इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी के अनुसार प्रत्येक शनिवार को बाल प्रेरकों एवं फोकल शिक्षकों के माध्यम से विद्यालयों में आपदा सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम चलाना था। अभी तक 32 जिलों में विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो चुका है। शेष 06 जिले जहाँ विद्यालय स्तर पर यह कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं हो पाया है वे जिले हैं— औरंगाबाद, गया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा एवं सीतामढ़ी।

सुरक्षित शनिवार के क्रियान्वयन दस्तावेज में वर्णित वार्षिक सारणी के अनुसार सितम्बर माह के प्रथम शनिवार को बिहार के विभिन्न विद्यालयों में “डायरिया के सम्बन्ध में जानकारी तथा ओ.आर.एस. बनाने से सम्बंधित कौशल प्रशिक्षण एवं अभ्यास” के बारे में फोकल शिक्षकों एवं बाल प्रेरकों के द्वारा जानकारी दी गयी। सितम्बर माह के दूसरे शनिवार को “रेल/सड़क दुर्घटना से बचाव के सन्दर्भ में जानकारी” के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। तीसरे शनिवार को “भूकंप से खतरे एवं बचाव के बारे में जानकारी (मॉकड्रिल)” के बारे में जानकारी दी गयी। चौथे शनिवार को “बाल अधिकार बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़” के सन्दर्भ में जानकारी दी गयी।



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



5- dk;Øe d vuJo.k d fy, MkVk ,Vh

इस कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा एक डाटा फॉर्मेट भी विकसित किया गया है जिसे Google Drive के माध्यम से सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है। इसमें विस्तृत तौर पर विद्यालयवार फोकल शिक्षकों एवं अन्य गतिविधियों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है।

इसी क्रम में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा दिनांक 20 अगस्त को एक स्मार पत्र भी सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजा गया है एवं विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए एक 5 पृष्ठों का फॉर्मेट भी भेजा गया है।

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति के गठन के लिए जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति का गठन प्रस्तावित है। समिति के गठन करने हेतु सभी जिलों को पत्र भेजा गया जिसकी प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं मुख्य सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दी गई है।

6- dk;Øe d vuJo.k gr ikVy dk fuek.k

चूँकि यह कार्यक्रम राज्य के सभी सरकारी एवं निजी प्राथमिक/मध्य विद्यालयों एवं मदरसों में नियमित रूप से संचालित किया जाना है, अतएव कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु यूनिसेफ के सहयोग से एक पोर्टल के निर्माण पर काम चल रहा है। इस पोर्टल पर फोकल शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किए गए नवाचार एवं गतिविधियों को भी साझा करने की सुविधा रहेगी ताकि फोकल शिक्षक एक दूसरे से सीख सकें।

7- ljf{kr 'kfuokj 0gkV l vi xi

सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार विद्यालयों में आयोजित गतिविधियों को एक दूसरे से साझा करने एवं सीखने-सीखाने के लिए व्हाट्स अप (whatsapp) ग्रुप बनाया गया है। फोकल शिक्षक एवं मास्टर प्रशिक्षक इस ग्रुप का भरपूर उपयोग कर रहे हैं।



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



8- iVuk ft yk d; lHkh fut h fo |ky; k; enj l k; lL—r f'k{k k ckM ,o vU; foHkxk; }kj l pkfyr fo |ky; k; d; Qkdy f'k{k d k 2 fno l h; cf'k{k.k dk; Øe&

विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाले सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के अनुश्रवण से ज्ञात हुआ कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से सरकारी विद्यालयों में चल रहे हैं जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में सभी विद्यालयों में इस कार्यक्रम को संचालित करना है। इस आशय का आदेश शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिलों को भेजा गया है।

प्राधिकरण स्तर से पटना जिले के सभी निजी विद्यालयों, मदरसों, संस्कृत के विद्यालयों एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित विद्यालयों के एक-एक नामित फोकल शिक्षकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण (लगभग 850 विद्यालयों के फोकल शिक्षक) कुल 18 बैचों में कराने का निश्चय किया गया है।

प्रथम बैच दिनांक 26–27 सितम्बर तक पटना के ए० एन० सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान ए गाँधी मैदान पटना में प्रारम्भ हुआ। प्रथम बैच में पटना के विभिन्न निजी विद्यालयों के 50 प्रतिभागी शामिल हुए।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



(D) ukfodk ,o uko ekfydk dk if'k{k.k



प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से चयनित 29 जिलों में जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तीय सहयोग से नाविकों एवं नाव मालिकों को सुरक्षित नौका चालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा विकसित हस्त पुस्तिका सभी नाविकों एवं नाव मालिकों को उपलब्ध करायी गयी है एवं करायी जा रही है एवं प्रशिक्षण का अनुश्रवण किया जा रहा है। जिलों से प्राप्त सूचनानुसार गत माह अगस्त तक 22 जिलों के कुल 4651 नाविकों एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षित किया गया था। माह सितंबर में भोजपुर जिले में कुल 192 नाविक एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षण दिया गया। सितंबर माह के प्रशिक्षण का विवरण निम्नांकित है:-

Øe l[;k	ft yk dk uke	if'kf{kr ukfodk ,o uko ekfydk dh l[;k
1.	भोजपुर	192
	dy	192



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



इस प्रकार अब तक कुल $4651+192=4843$ नाविक/नाव मालिक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। अनुश्रवण के दौरान सूचना प्राप्त है कि निम्नांकित 05 जिलों में प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है, परन्तु प्रशिक्षितों की संख्या एवं विवरणी प्राप्त नहीं हो सकी है।

क्र.सं.	जिला
1.	लखीसराय (एक बाढ़ प्रवण ब्लॉक को छोड़कर)
2.	गोपालगंज
3.	शेखपुरा
4.	शिवहर
5.	सीतामढ़ी

नालंदा जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर लेने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



(E) disaster@biodm.gov.in



नौकाओं के सर्वेक्षण एवं निबंधन हेतु विभिन्न जिलों में आदर्श नौका नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा अधिसूचित निबंधकों/सर्वेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत गत अगस्त माह तक कुल 12 बैचों में 20 (अति बाढ़ प्रवण एवं बाढ़ प्रवण) जिलों के कुल 282 निबंधकों/सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण NINI, (गायघाट, पटना) में कराया जा चुका है। वर्तमान माह सितंबर 2018 की प्रगति निम्नवत है:-

क्र.सं.	दिनांक	सेवा क्षेत्र	प्रशिक्षण स्थल	कुल प्रशिक्षित
1.	05.09.2018 से 07.09.2018	बक्सर/दरभंगा/पश्चिम चम्पारण	NINI गाय घाट, पटना	27
2.	12.09.2018 से 14.09.2018	बक्सर/दरभंगा/पश्चिम चम्पारण		17
3.	26.09.2018 से 28.09.2018	दरभंगा/सीतामढ़ी		28
		कुल		72

इस प्रकार सितंबर माह तक 21 जिलों के कुल 282+72=354 निबंधकों/सर्वेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



(F) vkink tkf[ke U;uhdj.k ,o i:c/ku fo"k; ij ipk;r
ifrfuf/k;k dk if'k{k.k dk;ØeA



1- 'kgjh LFkkuh; fudk;k dk vkink tkf[ke U;uhdj.k ,o i:c/ku fo"k; ij
if'k{k.k d fy, ekM;y fuek.k ,o if'k{k.k dh vko';drk d vkdyu gr
,d fnolh; dk;'kkykA

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.09.2018 को शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" विषय पर प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल निर्माण एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता के आकलन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बामेती के सभागार में किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन की समझ।
- उपरोक्त विषय पर प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन करना, एवं
- उपरोक्त आकलन के आधार पर प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं सामग्रियों के विकास की रूप-रेखा तय करना।

इस कार्यशाला में नगर निकायों के प्रतिनिधि, पदाधिकारी, नगर निगमों के आयुक्त, महापौर, अध्यक्ष, संबंधित विभागों के पदाधिकारियों, NDRF, SDRF के प्रतिनिधि, विभिन्न जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के प्रतिनिधि के साथ साथ विभिन्न NGOs/INGOs के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



कार्यशाला में समूह चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण के आकलन के आधार पर प्रशिक्षण मॉड्यूल के विषयवस्तु की रूपरेखा तय की गई। तदनुसृत प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं हस्तपुस्तिका तैयार करने हेतु ड्राफ्टिंग कमिटी का गठन किया गया।

2. पर्यावरण सुरक्षा पर परिचर्चा

जलवायु एवं मौसम के परिवर्तन के कारण पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव मानव जीवन पर निरंतर पड़ रहा है। पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव शहरी जन-जीवन पर परिलक्षित हो रहा है जो मानव स्वास्थ्य तथा राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए संकटपूर्ण स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में दिनांक 15 सितम्बर 2018 को “पर्यावरण सुरक्षा पर परिचर्चा” के लिए एक गोष्ठी का आयोजन प्राधिकरण के सभाकक्ष में किया गया।

इस गोष्ठी में Association for Study and Action (ASA-आसा) के प्रतिनिधि, आसा-पर्यावरण सुरक्षा के जमीनी कार्यकर्ता, NGOs/INGOs एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। इस गोष्ठी में निम्नलिखित विषयों पर प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा की गई।



1. वायु प्रदूषण पर पटना घोषणा पत्र की प्रस्तुति।
2. परंपरागत जल निकायों के प्रबंधन पर प्रस्तुति।
3. शहरी बाढ़ की समस्या पर प्रस्तुति।
4. घरेलू कचरे का प्रबंधन।
5. प्लास्टिक के उपयोग पर रोक के संबंध में।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



(G) vkink tkf[ke U;uhdj.k ,o ic/ku fo"k; ij ipk;r ifrfuf/k;k dk if'k{k.k dk;Øe %&

अगस्त माह तक 27 बैचों में 38 जिलों के 996 मुखिया एवं सरपंच का मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न किया जा चुका है। बिहार के सभी 38 जिलों के कुल 534 प्रखंडों में 1-1 मुखिया एवं सरपंच को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करने के कुल लक्ष्य 1068 के विरुद्ध कुल 996 मुखिया/सरपंचों को प्रशिक्षित किया जा सका क्योंकि शेष 72 मुखिया/सरपंच कतिपय कारणों से प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहे।

2- jkT; Lrj ij if'kf{kr ekLVj Vuj }kjk ftyk e i[kM Lrjh; if'k{k.k

पंचायती राज संस्थानों के जन प्रतिनिधियों के प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा जिलों को आवश्यक वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है। अब तक निम्नांकित जिलों में प्रखंड स्तर पर जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किए जाने की सूचना प्राप्त है:-

1. मधुबनी 2. मधेपुरा 3. दरभंगा 4. पूर्वी चम्पारण 5. सुपौल 6. पटना 7. सारण 8. सहरसा 9. सीतामढ़ी, 10. शिवहर 11. किशनगंज 12. नालंदा 13. सिवान 14. समस्तीपुर 15. मुजफ्फरपुर 16. वैशाली 17. बांका 18. जहानाबाद 19. कटिहार 20. पश्चिमी चम्पारण 21. बक्सर 22. अररिया 23. औरंगाबाद।

उपर्युक्त जिलों से प्रशिक्षित पंचायत प्रतिनिधियों के आँकड़े विहित प्रपत्र में प्राधिकरण को भेजने हेतु अनुरोध किया गया है एवं उन सभी जिलों से यह भी अनुरोध किया गया है कि प्रशिक्षित पंचायत प्रतिनिधियों का डाटा बेस तैयार कर जिला के वेबसाइट पर अपलोड किया जाय। अभी तक मात्र मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर एवं सारण जिले से विहित प्रपत्र में प्रशिक्षण का आँकड़ा प्राप्त हुआ है।

प्रशिक्षित पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या निम्नवत् है:-

0010	ft yk dk uke	dy cph dh 10	ft yk ifj"kn lnL; ½ i[k.M {k= e if'kf{krk dh 10½	ipk;r lfefr lnL; ½ i[k.M {k= e if'kf{krk dh 10½	ef[k;k ½ i[k.M {k= e if'kf{krk dh 10½	ljip ½ i[k.M {k= e if'kf{krk dh 10½	okM lnL; ½ i[k.M {k= e if'kf{krk dh 10½	ip ½ i[k.M {k= e if'kf{krk dh 10½	dy if'kf{krk dh 10
1	मधुबनी	120	56	539	371	378	5149	5127	11620
2	मुजफ्फरपुर	33	25	288	263	207	1627	1291	3701
3	शिवहर	14	1	48	30	35	558	540	1212
4	सारण	92	6	294	273	239	3897	3139	7848
	dy	259	88	1169	937	859	11231	10097	24381

बजटीय उपबंध प्राप्त होने पर औरंगाबाद, अरवल, बेगूसराय, पूर्णिया, भागलपुर, भोजपुर, गया, नवादा एवं मुंगेर जिला के लिए प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण हेतु राशि विमुक्त कर दी गई है।



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



(H) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नौका दुर्घटनाओं के निवारण के लिए

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मुजफ्फरपुर द्वारा नाव मालिकों, नाविकों एवं गोताखोरों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन जिला परिषद् सभागार, मुजफ्फरपुर में दिनांक 08 सितंबर 2018 को किया गया। इस कार्यक्रम में जिला स्तरीय पदाधिकारियों, विभिन्न प्रखंडों के अंचल अधिकारियों, राजस्व कर्मचारियों, नाव मालिकों, नाविकों एवं गोताखोरों सहित लगभग 60 लोगों ने भाग लिया।

इस अवसर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सुरक्षित नौका परिचालन के सन्दर्भ में एक प्रस्तुतीकरण किया गया। नौका दुर्घटनाओं के कारणों, आदर्श नौका नियमावली 2011 के अनुसार नौकाओं का निबंधन एवं सर्वेक्षण की प्रक्रिया, नौका परिचालन के समय नौकाओं पर आवश्यक जीवन रक्षक उपकरणों को रखा जाना, यात्रियों एवं माल क्षमता का निर्धारण आदि के बारे में प्रतिभागियों का संवेदीकरण किया गया।

(I) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नौका दुर्घटनाओं के निवारण के लिए

1. भूकम्प दूरमापी तंत्र का केन्द्र पटना विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित करने के संबंध में पटना विश्वविद्यालय एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच एक Memorandum of Understanding हस्ताक्षरित किया जाना प्रस्तावित है। MoU के प्रारूप पर विश्वविद्यालय कुलपति के साथ चर्चा की जा रही है।

2. 10 क्षेत्रीय वेधशालाओं में छः में निर्माण कार्य चल रहा है। अन्य चार में कार्य शुरू करने हेतु, बिहार भवन निर्माण निगम लि०, के साथ चर्चा की जा रही है। क्षेत्रीय वेधशालाओं एवं संग्रहण केन्द्र का निर्माण होने पर मशीनों का क्रय एवं अधिष्ठापन किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति आवश्यक मशीनों का निर्धारण कर दिया गया है।



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



(J)

Whatsapp Advisory

सितम्बर माह में प्राधिकरण द्वारा “ufn;k rkykck e Mcu l cpu d mik;” एवं “uko n?kVuk l cpu d mik;” पर Mass Messaging किया गया जो निम्नांकित है:— पंचायत प्रतिनिधियों, मुखिया, पंचों, वार्ड सदस्यों, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों, आशा कर्मचारियों, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, अभियंता, प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित फोकल टीचर, फायर सर्विसेस आदि लोगों को Mass Messaging द्वारा जागरूक किया गया।

ufn;k rkykck e Mcu l cpu d mik; &

अपनी और अपने बच्चों की बचाएं जान।
नदियों—तालाबों में न धोएं बर्तन—कपड़े एवं न करें स्नान।
डूबते हुए की तरफ रस्सी, धोती, साड़ी या बांस फेंके।
डूबे हुए व्यक्ति को तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएं।
ऑक्सीजन न मिले तो मुंह से स्वांस दें।
पेट में भर गया हो पानी तो पेट के बल लिटाकर दबाव दें जिससे पानी निकल जाए, फिर जल्दी अस्पताल ले जाएँ।

uko n?kVuk l cpu d mik; &

जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें।
जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफेद पट्टी का निशान लगा उसी नाव से यात्रा करें।
किसी भी स्थित में ओवर लोडेड नाव पर न बैठें।
छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाइफ जैकेट, बॉय, के साथ प्राथमिक बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखे हों उसी नाव से यात्रा करें।